उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2
संख्या–32/2019/654/65–2–2019–21(बजट)/2015
लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के प्रकीर्ण संख्या–1275/65–2–2016–21(बजट)/2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली, 2016 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु पात्रता की शर्तें, अनुदान की दर एवं अनुदान आदि का निर्धारण किया गया है।

2– भारत सरकार की एडिप योजना की भॉति राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत उपकरणों की धनराशि की सीमा को बढ़ाये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त उक्त नियमावली के नियम–5 अनुदान की दर तथा नियमावली के नियम 8(vii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है

क्र0स0	नियमावली दिनांक का 16-12-21नियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	नियम5– अनुदान की दर	इस योजना के अन्तर्गत निशक्तजन को कृत्रिम अंग : एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि प्रति –/8000 लाभार्थी रू0 अनुमन्य होगी, अथवा उ 0प्र0 समय –शासन द्वारा समय पर संशोधित दर अनुमन्य होगी।	(क)इस योजना के अन्तर्गत निशक्तजन को कृत्रिम अंग एवं : सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने –/8000से बढ़ाकर रू 0 –/10000अनुमन्य होगी। सहायक /कृत्रिम अंग (ख) उपकरण अनुदान नियमावली, के अन्तर्गत उपर्युक्त 2016 अधिकतम अनुदान की सीमा रू0 –/10000से अधिक धनराशि के उपकरणों की दिव्यांगजन को आवश्यकता है, तो इस स्थिति में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			विभाग द्वारा उस लाभार्थी को अधिकतम अनुमन्य रू 0 –/10000इस शर्त के अधीन प्रदान किया जायेगा कि अतिरिक्त धनराशि का वहन स्वयं संबंधित दिव्यांगजन के द्वारा किया जाये। प्रदेश के दिव्यांगजन के (ग) सहायक /हितार्थ कृत्रिम अंग उपकरण योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन को उपलब्ध करायी जाने वाली अनुदान की अधिकतम सीमा रू –/10000 0के अन्तर्गत उसे आवश्यक एक से अधिक उपकरण भी प्रदान किये जाने की अनुमन्यता की आवश्यकता है,जिससे कि दिव्यांगजन को आवश्यक सहायक उपकरणकृत्रिम / अंग एक साथ उपलब्ध कराया जा सकें।
–2	नियम8– उपकरणों का विवरण बिन्दु संख्या –)8vii(	बहुविकलांगता की दशा में अथवा जिन निशक्तजन को : एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है, उनके लिए एक बार में अधिकतम रू –/8000 0 तक की वित्तीय अनुदान स्वीकृत की जायेगी।	बहुविकलांगता की दशा में अथवा जिन निशक्तजन को एक से : अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है, उनके लिए एक बार में अधिकतम रू 0 –/10000तक की वित्तीय अनुदान स्वीकृत की जायेगी।

3– निःशक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत किये जाने संबंधी नियमावली दिनांक 21–12–2016 में उक्त संशोधन इस शर्त के साथ कि उक्त वृद्धि के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय को उपलब्ध संगत वित्तीय वर्ष की बजट की सीमा के अन्तर्गत ही रखा जायेगा किया जाता है।

4– उक्त संशोधन दिनांक 1–04–2019 से प्रभावी होगा।

5– उक्त नियमावली दिनांक 21–12–2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 32/2019/654/65–2–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
5. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0
7. समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक दिव्यांगजन, उ0प्र0।
8. दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–1/3
9. वित्त (व्यय–नियत्रंक) अनु0-4
10. समाज कल्याण अनु0–2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजीत कुमार,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।